C.N. - 87/2022

05/03/24 — पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी सं. 6 व 7 के प्रतिनिधि उप. जवाब हेतु समय चाहा गया। अतः वकील अप्रार्थी सं. 6 व 7 को न्यायहित में एक अन्तिम अवसर दिया जाता है। अतः पत्रावली वास्ते अप्रार्थी सं. 6 व 7 के जवाब हेतु दि. 9/04/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

9/4/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
पी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 25/6/24

दि. 25/06/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. । तलबी/जवाब/
दस्तावेजात/साक्ष्य/... हेतु समय चाहा अतः पत्रावली
वास्ते जवाब ..... दिनांक 10/9/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

10/9/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
पी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 3/12/24

3/12/24 — पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवलोकन आदेश दि. 10/12/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

10/12/24 — पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर हस्ताक्षरित किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

... किया जाकर अप्रार्थीगणो को ... जारी किये गये अप्रार्थी संख्या की तलबी होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 01 से 07 ...

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 87/2022

1. लालाराम पुत्र हजारी जाति जाट निवासी डीडवाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

प्रार्थी

विरूद्ध

1. गोपी पुत्र हजारी जाति जाट निवासी डीडवाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
2. जंगलीराम हजारी जाति जाट निवासी डीडवाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
3. गणेश पुत्र श्योजी जाति नाई निवासी डीडवाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
4. गुलाब पत्नि उकार जाति नाई निवासी डीडवाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
5. हनुमान पुत्र उकार जाति नाई निवासी डीडवाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
6. उप पंजीयक किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर राज.।

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 10/12/24

उपस्थितः– वकील प्रार्थी श्री डी.सी. सेठी

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री डीसी सेठी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम डीडवाडा भू. अभिलेख निरीक्षक बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1163 रकबा 4.2230 हैक्टेयर स्थित है जिसका प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 सहखातेदार काश्तकार है, उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा सहखातेदारी में दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 4 का 1/8 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 5 का 1/8 हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज है। अप्रार्थीगण दादा किस्म के व्यक्ति है और मौके पर उक्त भूमि खसरा नम्बर 1163 की भूमि के स्वरूप को परिवर्तित कर रहे है तथा दिनांक 29.05.2022 को प्रार्थी उक्त भूमि में अपने हिस्से भू भाग पर काश्त करने गया तो अप्रार्थीगण मिट्टी खोदकर मिट्टी बैचान करने को प्रयासरत थे और नीवें खोदकर निर्माण पर उतारू है प्रार्थी ने अप्रार्थी को गैर कानूनी कृत्य करने के लिए मना किया प्रार्थी ने कहा आप बिना नींव सींव के बटवारे के मिट्टी खोदकर बैचान नही कर सकते, निर्माण नही कर सकते भूमि के स्वरूप व ढलान में बिना बटवारे के परिवर्तीत नही कर सकते और प्रार्थी के साथ फौजदारी कृत्य करने लग गए मौके पर वाद विवाद गंभीर हुआ तो अप्रार्थीगण ने कहा कि ज्यादा दादागिरी की तो हम उक्त कृषि भूमि को बिना नींव सींव के बटवारे के तत्काल ही किसी अन्य दादा किस्म के व्यक्ति को हस्तान्तरण कर देगे जबकि उक्त भूमि को कानूनन बिना नींव के बटवारे के बैचान हस्तारन्तरण अप्रार्थीगण नही कर सकते और अप्रार्थी बैचान करने पर उतारू है और अप्रार्थीगण बैचान हस्तान्तरण करने पर उतारू है और आज दिनांक 30.05.2022 को सुबह अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि हमने जमीन बैचान करने के लिए अजनबी केता को बैचान करने की तय कर ली है। वाद कारण पैदा हुआ निरन्तर जारी है। अतः मय नींव से जमाबन्दी हिस्सेनुसार बटवारा करने का व अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में उल्लेखित कृषि भूमि का मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थित रखे, मौका भूमि के स्वरूप में ढलान में परिवर्तीत नही करे मिट्टी को खोदकर बैचे नही और बिना नींव सींव के बटवारे के किसी अन्य अजनबी केता को बैचान हस्तान्तरण नही करे और इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा वाद के निस्तारण तक देने की कृपा करावें तथा अप्रार्थी संख्या 7 उक्त भूमि की अप्रार्थीगण द्वारा बैचान रजिस्ट्री पेश करे तो उसका पंजीयन नही करे इस आशय की फैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी अप्रार्थीगण देने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 01.06.2022 को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी संख्या की तलबी होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 01 से 07

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

अनुपस्थित रहे जिसके कारण दिनांक 29.08.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 से 05 तथा दिनांक 03.12.2024 को अप्रार्थी संख्या 06 व 07 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 03.12.2024 को वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में मौजूद जमाबन्दी सम्वत 2066–69(वर्ष 2020 से स्थाई) से ताईद है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम डीडवाडा स्थित भूमि खसरा संख्या 1163, प्रार्थी व अप्रार्थीगणो की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। वाद बाहुलता नही बढे तथा पक्षकारान के मध्य विवाद न हो इसीलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्ष को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम डीडवाडा स्थित भूमि खसरा संख्या 1163 रकबा 4.2230 हैक्टेयर में मिट्टी खोदकर बेचान नही करे तथा मौके पर किसी प्रकार का स्थाई निर्माण नही करें तथा मौके की मौजूदा स्थिती को यथावत रखे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/12/24..... को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (अजमेर)

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)